न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2016 अपील

1. राममूर्ति पुत्री स्व. फुम्बाराम मीणा निवासी गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. दारासिंह पुत्र स्व. फुम्बाराम मीणा निवासी गाडोली
2. सुसपाल सिह पुत्र स्व. फुम्बाराम मीणा निवासी गाडोली
3. गणराज सिह पुत्र स्व. फुम्बाराम मीणा निवासी गाडोली
4. भुवानाराम पुत्र ज्वारा मीणा निवासी गाडोली
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. बी.आर.आर.बी. बैंक शाखा ईटून्दा तहसील जहाजपुर
7. कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 1062 दिनांक 19.06.1990
तहसीलदार जहाजपुर

उपस्थित –

1. श्री सुनिल पारीक अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री जे.सी. दाधीच अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.06.2017

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें नामान्तरकरण सं. 1062 दिनांक 19.06.1990 के खिलाफ दिनांक 05.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 सगे भाई बहिन होकर फुम्बाराम पुत्र ज्वारा मीणा एवं गलकु बेवा फुमा मीणा के पुत्र, पुत्री होकर अपीलार्थीया फुम्बाराम व गलकु बाई की पुत्री व रेस्पोडेण्ट सं. 01 लगायत 03 प्रथम श्रेणी के विधिक

वारिस व उत्तराधिकारी हैं । सरहद गाडोली पटवार हल्का गाडोली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र अमरवासी तहसील जहाजपुर में अपीलार्थीया की पैतृक आराजियात स्थित हैं । आराजी नं. 339/2, 339/3, 589/1 कुल किता 3 कुल रकबा 19.10 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 में अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 03 के पिता फुम्बाराम मीणा के नाम पर दर्ज हैं । आराजी नं. 589/5 रकबा 05 बीघा भूमि जो जमाबंदी सवंत् 2043 से 2046 में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से लगायत 03 के पिता फुम्बाराम मीणा के नाम पर दर्ज हैं ।

अपीलार्थीया फुम्बाराम की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है व उक्त वर्णित आराजियात में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा एवं प्रत्यर्थी सं. 02 का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर, उसी हक हिस्से अनुसार फुम्बाराम के देहान्त उपरान्त अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 व श्रीमती गलकू देवी फुम्बाराम के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व गलकू देवी के देहान्त उपरान्त अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 फुम्बाराम के 1/2 हक हिस्से पर 1/8, 1/8 हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । अपीलार्थीया ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया व नकले दिनांक 07.04.2016 को नकले प्राप्त हुई तब अपीलार्थीया को प्रथम बार जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने दिया व उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा ली व अपने नाम पर नामान्तरकरण फेसल कराया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण फैसल किया है जो बिना किसी जांच पड़ताल किये , मनमकसूद तौर पर बिना अपीलार्थीया को सुने फैसल किया हैं , जो विधि विरूद्व एवं नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । नकल प्राप्त होने पर अपील आवेदन प्रस्तुत किया हैं , जिससे यह अपील अन्दर अवधि पेश हैं , फिर भी आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं । प्रत्यर्थी सं. 04 सहखातेदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं एवं प्रत्यर्थी सं. 06 लगायत 08 के यहां भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया हैं। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश सं. 1062 दिनांक 19.06.1990 को अपास्त फरमाया जाकर अपील मेमों में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 के साथ साथ अपीलार्थीया का नाम दर्ज करवाने व उक्त अवैध नामान्तकरण की आड में दर्ज सभी प्रविष्ठियों को निरस्त कराने का आदेश प्रदान करावें ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 सगे भाई बहिन होकर फुम्बाराम पुत्र ज्वारा मीणा एवं गलकु बेवा फुमा मीणा के पुत्र, पुत्री होकर अपीलार्थीया फुम्बाराम व गलकु बाई की पुत्री व रेस्पोडेण्ट सं. 01 लगायत 03 प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी हैं । सरहद गाडोली पटवार हल्का गाडोली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र अमरवासी तहसील जहाजपुर में अपीलार्थीया की पैतृक आराजियात स्थित हैं । आराजी नं. 339/2, 339/3, 589/1 कुल किता 3 कुल रकबा 19.10 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 में अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 03 के पिता फुम्बाराम मीणा के नाम पर दर्ज हैं । आराजी नं. 589/5 रकबा 05 बीघा भूमि जो जमाबंदी सवंत् 2043 से 2046 में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से लगायत 03 के पिता फुम्बाराम मीणा के नाम पर दर्ज हैं ।

अपीलार्थीया फुम्बाराम की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है व उक्त वर्णित आराजियात में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा एवं प्रत्यर्थी सं. 02 का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर, उसी हक हिस्से अनुसार फुम्बाराम के देहान्त उपरान्त अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 व श्रीमती गलकू देवी फुम्बाराम के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व गलकू देवी के देहान्त उपरान्त अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 फुम्बाराम के 1/2 हक हिस्से पर 1/8, 1/8 हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । अपीलार्थीया ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया व नकले दिनांक 07.04.2016 को नकले प्राप्त हुई तब अपीलार्थीया को प्रथम बार जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने दिया व उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा ली व अपने नाम पर नामान्तरकरण फेसल कराया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण फैसल किया है जो बिना किसी जांच पड़ताल किये , मनमकसूद तौर पर बिना अपीलार्थीया को सुने फैसल किया हैं , जो विधि विरूद्व एवं नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश सं. 1062 दिनांक 19.06.1990 को अपास्त फरमाया जाकर अपील मेमों में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 03 के साथ साथ अपीलार्थीया का नाम दर्ज करवाने व उक्त अवैध नामान्तकरण की आड में दर्ज सभी प्रविष्ठियों को निरस्त कराने का आदेश प्रदान करावें ।

विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रस्तुत अपील 1990 के नामान्तरकरण के संबंध में हैं जो 26 साल बाद पेश की गयी हैं । इसलिए प्रस्तुत अपील प्रथमतः ही खारिज योग्य हैं । प्रस्तुत अपील में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) जिसमें इस अधिनियम के प्रावधान जनजाति पर लागू नहीं होते हैं । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 उत्तराधिकार का अधिकार – अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं । पुनिर्विवाह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

के पश्चात् विधवा का पति की भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार विवाहित पुत्री का पिता की पूर्वजों की सम्पति पर कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे । अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने के समर्थन में अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2006(1) WLC Page 648 प्रस्तुत किये है।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम गाडोली तह. जहाजपुर के नामा. सं. 1062 में फुम्बाराम पिता ज्वारा भील सा.दे.के फोत होने पर विरासत से पटवारी हल्का गाडोली ने दिनांक 12.03.1990 को दारासिंह , सुसपाल सिंह , रणराज सिंह पिता फुम्बाराम एवं गलकू बेवा फुम्बाराम मीणा के नाम पर दर्ज किया । जिसे तहसीलदार जहाजपुर ने दिनांक 19.06.1990 को उपरोक्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया । अपीलार्थीया राममूर्ति, फुम्बाराम की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से उक्त नामान्तरकरण में अपना नाम इन्द्राज कराने की प्रार्थना की हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अंतर्गत मीणा जाति पर उक्त अधिनियम लागू नहीं होता हैं । अपीलार्थीया की जाति मीणा हैं। जिससे अपीलार्थीया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अंतर्गत विरासत के नामान्तकरण में अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं । उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीालार्थी की अपील खारिज योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मीणा जाति पर लागू नहीं होता है। अपीलान्ट मीणा जाति की होकर जनजाति श्रेणी में होने से विरासत के नामान्तरकरण में अधिकार प्रदान नहीं किये जाने का प्रावधान होने से अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती हैं । तहसीलदार जहाजपुर के नामान्तरकरण सं. 1062 निर्णय दिनांक 19.06.1990 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा